एनआईए टीम ने हरियाणा से एक को नक्सली पकड़ा

ई दिल्ली, एजेंसी। एनआईए ने रियाणा से एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय था। नआईए ने बुधवार को यह जानकारी दी गई।

एजेंसी ने बताया कि आरोपी की पहचान प्रियांशु कश्यप के रूप में हुई है। वह छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर जिले का रहना वाला है और वर्तमान में हरियाणा के रोहतक में रह रहा था। हरियाणा पुलिस द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मंगलवार को उसे गिरफ्तार किया गया। एनआईए की टीम ने उसके पास से एक सिम कार्ड, एक मोबाइल फोन, एक टैबलेट, दो मेमोरी कार्ड और नक्सलवाद से संबंधित दस्तावेज जब्त किए। वह प्रतिबंधित नक्सली संगठन का सदस्य है।

'सुनवाई के लिए क्रिकेट मैदान की जरूरत होगी'

- नकदी के बदले नौकरी घोटाला मामले में दो हजार आरोप बनाए
- शीर्ष अदालत की ओर से तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई गई

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी से जुड़े घोटाला मामले में 2000 से अधिक लोगों को आरोपी बनाए जाने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि सुनवाई के लिए एक क्रिकेट स्टेडियम की जरूरत पड़ेगी।

पूर्व मंत्री से जुड़े मामलों की सुनवाई को 'बिना पतवार वाली नौका' करार देते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि न्यायपालिका ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो राज्य सरकार 'नकद के बदले नौकरी' घोटाले में सेंथिल बालाजी से जुड़े मामलों को बंद करना चाहती थी।

पीठ ने घोटाले के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले और मामलों को एक साथ करने के फैसले का विरोध करने वाले वाई. बालाजी की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन से कहा कि मामले में 2,000 से अधिक आरोपी और 500 गवाह होने के कारण यह भारत का सबसे अधिक भीड़भाड़ वाला केस होगा। इसकी सुनवाई के लिए न्यायालय कक्ष पर्याप्त नहीं होगा। सभी अभियुक्तों की उपस्थिति के लिए क्रिकेट स्टेडियम की जरूरत होगी।

... पर सुनवाई ...ों : अदालत

...स्टेशन पर जीआरपी ने बजरंग ...के पदाधिकारी की शिकायत पर ...तार किया था।

...ांग्रेस ने की रिहाई की मांग : ...स ने लोकसभा में यह मुद्दा ...ए हुए बजरंगदल पर दो ननों के ... मारपीट करने का आरोप ...या। शून्यकाल में कांग्रेस के ... वेणुगोपाल ने यह मुद्दा उठाते ...दोनों की रिहाई की मांग की। ...स सहित कई दूसरे दलों ने इस ...र संसद भवन परिसर में विरोध ...न भी किया।

... भुगतेंगे'

...ाई

...ी बांके बिहारी मंदिर के नियंत्रण ...क मामले में सुनवाई के लिए छह ...ज्य सरकार के मुख्य स्थायी ...वेत ट्रस्ट में नौकरशाहों को ...न किया जाए।

...ाई का आग्रह किया। इस पर पीठ ...धिवक्ता से कहा कि आपने ...वार को ही इस मामले का ...ख जस्टिस संजय कुमार और ...। चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष ...था। पीठ ने कहा कि ऐसे में अब ...ामले का उल्लेख यहां क्यों ...जा रहा है।

पावरग्रिड
POWERGRID

शेयरधारकों के लिए नोटिस

विषयः कंपनी के इक्विटी शेयरों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण में हस्तांतरण।

यह सूचना, समय–समय पर यथा संशोधित, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 ('नियम') के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जाती है।

नियमों में अन्य मामलों के मध्य, ऐसे सभी शेयरों का जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या अधिक समय के लिए लाभांश का भुगतान अथवा दावा नहीं किया गया है, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि ('आईईपीएफ') प्राधिकरण के नाम में हस्तांतरण करने के लिए प्रावधान किया गया है।

नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने अब तक ऐसे सभी शेयरों को, जिनके संबंध में अंतरिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2017–18 अथवा इससे पहले के लगातार सात वर्षों या अधिक की अवधि के लिए लाभांश का भुगतान अथवा दावा नहीं किया गया था, संबंधित नियत तिथियों को, आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरित कर दिया है। कंपनी ने दिनांक 25.07.2025 के पत्र द्वारा संबंधित शेयरधारकों को जिनके शेयर नवंबर 2025 में आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने की संभावना है, उचित कार्रवाई किए जाने तथा आईईपीएफ खाते में क्रेडिट किए जाने से पहले अदावाकृत लाभांश राशि का दावा करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में व्यक्तिशः सूचित कर दिया है। शेयरधारकों से अनुरोध कि वे 16.10.2025 को या इससे पहले अदावाकृत लाभांश राशि का दावा करने के लिए उक्त पत्र यथा वर्णित अपेक्षित दस्तावेज कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट को अग्रेषित कर दें। ऐसे शेयरधारकों की सूची, जिनके शेयर आईईपीएफ खाते में हस्तांतरित किये जाने हैं, कंपनी की वेबसाइट **https://www.powergrid.in/en/details-shareholders** पर अपलोड की गई है।

यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारकों से 16.10.2025 तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो कंपनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए उक्त नियमों की अपेक्षा के अनुरूप आगे बगैर कोई सूचना के अप्रदत्त लाभांश और संबंधित शेयरों को आईईपीएफ खाते में हस्तांतरण कर देगी। कृपया ध्यान दें कि शेयरधारक हस्तांतरित शेयरों और लाभांश का दावा आईईपीएफ प्राधिकरण से नियमों के अनुरूप कर सकते हैं।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पता, बैंक खाता, नामांकन आदि में किसी भी परिवर्तन को शीघ्रता से सूचित/अद्यतन करें। इसके अलावा, भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे कंपनी की वेबसाइट **https://www.powergrid.in/en/notice-shareholders-holding-securities-physical-form** पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्रों में केवाईसी और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को अद्यतन करें।

इस विषय पर किसी भी सूचना/स्पष्टीकरण के लिए, संबंधित शेयरधारक कंपनी को **investors@powergrid.in** पर लिख सकते हैं अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटः मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस लि. (यूनिटः पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31–32, गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद– 500032; ईमेलः **einward.ris@kfintech.com** से संपर्क करें।

कृते पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

हस्ता./–

दिनांक : 30.07.2025 सत्यप्रकाश दाश

स्थान : गुरुग्राम कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालयः बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016

कॉर्पोरेट कार्यालयः "सौदामिनी", प्लॉट सं. 2, सेक्टर–29, गुड़गाँव, हरियाणा-122001

वेबसाइटः **www.powergrid.in**, ईमेलः **investors@powergrid.in**, **CIN :** L40101DL1989GOI038121

एक महारत्न पीएसयू

PG/CC/Notice(BM)-35/Advt-40/2025-26 Interads

Hindustan Hindi– Delhi -31/7/2025